

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 15.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



<u>गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1-आशुदीन पुत्र नूरदीन निवासी रामनगर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-रवि पुत्र नरेश निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सिंघावली अहीर।

2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर।

3-का0 442 प्रमोद कुमार थाना सिंघावली अहीर।

4-का0 44 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर।

5-का० 783 हिमान्शु थाना सिंघावली अहीर।



दिनाँक 15.11.2022

थाना छपरौली पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभि0गण का नाम व पताः-

- 1-जयवीर सिंह पुत्र कदम सिंह निवासी पट्टी धनकौशिया करूबा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-पप्पू पुत्र वीरपाल निवासी पट्टी भुवाला करूबा व थाना छपरौली बागपत ।
- 3-जयवीर पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-मोनू पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 5-संजय पुत्र मनोज निवासी नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली।
- 2-उ0नि0 श्री जयपाल थाना छपरौली।
- 3-उ0नि0 आशीष कुमार थाना छपरौली।
- 4-का0 953 अंकुल थाना छपरौली।
- 5-का0 639 ऋषिपाल थाना छपरौली।



दिनाँक 15.11.2022

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी। अभियुक्त का नाम

व पता-

1-देवेन्द्र कुमार पुत्र ओमी उर्फ ओमप्रकाश निवासी भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री शिवदत्त थानाध्यक्ष थाना चांदीनगर।
- 2-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना चांदीनगर।
- 3- का0 1065 आलोक कुमार थाना चांदीनगर।



दिनाँक 15.11.2022

थाना बड़ौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नितिन पुत्र सुनील निवासी काशीराम कालोनी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-कपिल पुत्र सुनील शर्मा निवासी काशीराम कालोनी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-अजीत पुत्र ब्रजपाल निवासी पटटी चौधरान करूबा व थाना बडौत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नरेशचन्द यादव।
- 2-उ0नि0 अनूप कुमार।
- 3-उ0नि0 विकुल कुमार।
- 4-का0 989 विकास तालान।
- 5- का० 984 दीपक शर्मा।



थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक- 15.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वांरटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्ता का नाम व पता-

1- हामिद पुत्र फारूख निवासी निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ओम सिंह कोतवाली बागपता

2-का0 158 मन्जीत कोतवाली बागपत।



थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.11.2022

दुष्कर्म के आरोपी नासिर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।

कार्यवाही -

अवगत कराना है कि अभियुक्त- नासिर पुत्र मजीद निवासी ग्राम जवाहर नगर गोरीपुर मोड़ थाना कोतवाली बागपत द्वारा वर्ष-2013 में वादी की पुत्री को बहला-फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 456/2013 धारा 363/366/376 भादिव पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 15.11.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज/एफटीसी फस्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नासिर को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए धारा 376 भादिव में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया है।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1 - नासिर पुत्र मजरीद निवासी ग्राम जवाहर नगर गोरीपुर मोड़ थाना कोतवाली बागपत।



थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आमिर खान पुत्र नौशाद के मकान कीमत लगभग 10 लाख 34 हजार रूपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत किया कुर्क।

कार्यवाही-

आज दिनांक 15.11.2022 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 758/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त



आमिर खान पुत्र नौशाद निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत की ग्राम तिलपनी में रिहायसी भूमि 74.08 वर्ग मीटर पर बने मकान जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख 34 हजार रूपये को कुर्क किया गया है। श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत को कुर्क सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अभियुक्त आमिर खान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

- 1-मु0अ0सं0 250/19 धारा 323/429/504/506 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 251/19 धारा 147/148/149/323/332/336/342/353/504/506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 387/22 धारा 269/270/429 IPC व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 758/22 धारा 2/3 गैंगरुटर अधिनिमय थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



थाना कोतवाली बागपत दिनाँक-15.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1051/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनाँक 15.11.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर मोबीन पुत्र हाजी इस्लाम निवासी

पुराना करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त आसिफ पुत्र अख्तर निवासी मौ0 ईदगाह करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को सिटी प्लाजा मेरठ रोड़ पर सरिये के टुकड़े चोरी करते ह्ये पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 9 सरिया के टुकड़े बरामद हुए। वादी व जनता के व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त आसिफ को पकड़ कर थाना कोतवाली बागपत लाया गया । थाना कोतवाली



बागपत पुलिस द्वारा अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1051/22 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-आसिफ पुत्र अख्तर निवासी मौ0 ईदगाह करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

• 9 सरिया के टुकड़े।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.है0का0 203 उमेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2.का० ८०६ निकेश कुमार थाना कोतवाल बागपत।



दिनाँक 15,11,2022

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांरटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वांरटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता

1-राजन पुत्र संजीव नि0 पट्टी भोजान करूबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उपनि0 श्री हरवीर सिंह।

2-का० ८७५ परवेज अली।